

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची—834010 e-mail-jharkhand_ssc@rediffmail.com

विवरणिका



विज्ञापन संख्या-18/2023

झारखण्ड तकनीकी / विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा—2023 (नियमित रिक्ति)

JTGLCCE-2023

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या –2751, दिनांक-12.05.2023 एवं पत्रांक-3577, दिनांक-23.06.2023 द्वारा कृषि, पश्पालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड राँची के अंतर्गत पत्र संख्या-1115, दिनांक-02.05.2023 एवं पत्र संख्या—1513, दिनांक—15.06.2023 द्वारा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष, पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष, अनुमण्डल उद्यान पदाधिकारी एवं समकक्ष, सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष तथा प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या-3108, दिनांक-30.05.2023 द्वारा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड के अंतर्गत पत्र संख्या-1660, दिनांक-24.05.2023 द्वारा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड के अन्तर्गत निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या-3381, दिनांक-12.06. 2023 द्वारा खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड के अंतर्गत पत्र संख्या—939, दिनांक—05.06.2023 द्वारा खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड के अंतर्गत भूतात्विक विश्लेषक, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या–2344, दिनांक–24.04.2023 एवं पत्र संख्या–2491, दिनांक–28.04.2023 द्वारा उद्योग विभाग, झारखण्ड के अंतर्गत पत्र संख्या-454, दिनांक-13.04.2023 एवं पत्र संख्या-500, दिनांक-26.04.2023 द्वारा उद्योग विभाग, झारखण्ड के अंतर्गत क्रमशः सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष तथा पर्यवेक्षक एवं समकक्ष के पद की संसूचित रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में "झारखण्ड तकनीकी / विशिष्ट योग्यताधारी रनातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 (नियमित रिक्ति)'' के लिये ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उम्मीदवार विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाईन (Online) आवेदन आयोग के वेबसाईट www.jssc.nic.in पर लॉगईन (Login) करके समर्पित किया जा सकता है।

2. परीक्षा शुल्क:-

1.

परीक्षा शुल्क रू. 100 / -(सौ रूपये) है।

परीक्षा शुल्क में छूट:—झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू. 50 / — (पचास रूपये) है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक—8559, दिनांक—23.10.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति कोटि से इतर

कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रदद करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जा सकेगें। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

(ख) आरक्षित वर्ग की बैकलॉग रिक्तियों के विरूद्ध विज्ञापन संख्या—19/2023 प्रकाशित किया गया है, जिसमें कुल रिक्ति 02 है। विज्ञापन संख्या 18/2023 एवं 19/2023 दोनों के लिए अर्हत्ता प्राप्त अभ्यर्थी एक साथ ही आवेदन कर सकेंगे और इस आशय का विकल्प ऑनलाईन आवेदन भरने में उपलब्ध रहेगा। दोनों विज्ञापन के लिए आवेदन करने की स्थित में एक ही परीक्षा शुल्क देय होगा। यदि कोई अभ्यर्थी सिर्फ एक विज्ञापन के विरूद्ध आवेदन देते हैं तो वैसी स्थिति में उन्हें एक परीक्षा शुल्क ही देना होगा। दोनों विज्ञापन के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जायेगी।

3. रिक्तियों का विवरण :--

क्र _॰ सं.	पदनाम	आरक्षण कोटि	कुल			कुल रिक्ति	के अधीन क्षैति	ज आरक्षण	
1	2			महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता
		3	4	5	6	7	8	9	10
		1.अनारक्षित	04	00					
		2.अनुसूचित जनजाति	02	00		00			
	सहायक अनुसंधान	3.अनुसूचित जाति	01	00	00		00	00	00
1.	पदाधिकारी एवं समकक्ष	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु—I)	01	00	00	00			
	(समूह 'ख')	5.पिछड़ा वर्ग (अनु—II)	00	00					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00					
		योग :	08	00	00	00	00	00	00
		1.अनारक्षित	11	01					
2.		2.अनुसूचित जनजाति	07	00					
	पौधा	3.अनुसूचित जाति	03	00	04	01			00
	संरक्षण निरीक्षक	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु—I)	02	00	01	01	00	00	00
	एवं समकक्ष (समूह 'ख')	5. पिछड़ा वर्ग(अनु—II)	01	00					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02	00					
		योग :	26	01	01	01	00	00	00

			पदों की संख्या कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण								
क्र.					1	कुल रिक्ति ।	के अधीन क्षैति ।	ाज आरक्षण चलन	स्वलीनता,		
सं.	पदनाम	आरक्षण कोटि	कुल	महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		1.अनारक्षित	06	00							
		2.अनुसूचित जनजाति	04	00							
3.	अनुमण्डल उद्यान	3.अनुसूचित जाति	01	00	00	00	00	00	00		
	पदाधिकारी एवं समकक्ष	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु—I)	01	00							
	(समूह 'ख')	5. पिछड़ा वर्ग(अनु—II)	01	00							
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	01	00							
		योग :	14	00	00	00	00	00	00		
		1.अनारक्षित	12	01							
	सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष (समूह 'ख')	2.अनुसूचित जनजाति	07	00		01	00	00			
4.		3.अनुसूचित जाति	03	00	01				00		
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु—I)	02	00							
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु—II)	02	00							
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02	00							
		योग :	28	01	01	01	00	00	00		
	प्रखण्ड कृषि	1.अनारक्षित	124	06		03					
		2.अनुसूचित जनजाति	81 (02 पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित)	04	06		03	03	03		
5.	पदाधिकारी एवं समकक्ष	3.अनुसूचित जाति	31	02							
	(समूह 'ख')	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु−I)	23	01							
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु—II)	18	01							
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	31	01							
		योग :	308	15	06	03	03	03	03		
		1.अनारक्षित	12	01							
		2.अनुसूचित जनजाति	07	00							
	निरीक्षक,	3.अनुसूचित जाति	02	00							
6.	विधिक माप विज्ञान	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु—I)	03	00	01	01	00	00	00		
	(समूह 'ख')	5. पिछड़ा वर्ग(अनु—II)	02	00							
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02	00							
		योग :	28	01	01	01	00	00	00		

			पदों की संख्या कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण									
क्र. सं.	पदनाम	आरक्षण कोटि	कुल	महिला	खेलकूद कोटा	अंघापन और कम दृष्टि	क अधान क्षात बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	ज आरक्षण चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		1_अनारक्षित	13	01								
	भूतात्विक विश्लेषक (समृह 'ख')	2.अनुसूचित जनजाति	08	00								
		3.अनुसूचित जाति	03	00	01	00	00	02	00			
7.		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु−I)	02	00				32				
	(trige G)	5. पिछड़ा वर्ग(अनु—II)	02	00								
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02	00								
		योग :	30	01	01	00	00	02	00			
	सहायक	1.अनारक्षित	18	01		04		00				
		2.अनुसूचित जनजाति	12	01								
		3.अनुसूचित जाति	05	00			01		00			
8.	अधीक्षक एवं समकक्ष	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु—I)	03	00	01	01	01		00			
	(समूह 'ख')	5. पिछड़ा वर्ग(अनु—II)	03	00								
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	05	00								
		योग :	46	02	01	01	01	00	00			
		1.अनारक्षित	02	00								
		2.अनुसूचित जनजाति	01	00								
	पर्यवेक्षक	3.अनुसूचित जाति	00	00	00	00	00	00	00			
9.	एवं समकक्ष (समूह 'ख')	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु—I)	01	00								
	্বিশূহ অ /	5. पिछड़ा वर्ग(अनु—II)	00	00								
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00								
		योग :	04	00	00	00	00	00	00			

कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है।

4. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें की वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमित पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों के पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच करेगा।

5. कंडिका— 3 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत् है:--

क्र。 सं.	पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से)
1	2	3	4
1.	सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष		
2.	पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष		किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री।
3.	प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष		
4.	अनुमण्डल उद्यान पदाधिकारी एवं समकक्ष		किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उद्यान स्नातक / वानिकी स्नातक / कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री।
5.	सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष		किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र में स्नातक डिग्री।
6.	निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान	पे मैट्रिक्स लेवल—6, 35,400 —	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान (भौतिकी) / अभियंत्रण (असैनिक / यांत्रिकी / विद्युतिकी / इलेक्ट्रॉनिक्स) में स्नातक डिग्री।
7.	भूतात्विक विश्लेषक	112400 / -	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी०एस०सी० (रसायनशास्त्र) में प्रतिष्ठा की डिग्री ।
8.	सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष		किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी०एस०सी० सिल्क टेक (चार वर्षीय डिग्री कोर्स) (सेरीकल्चर/ वीभिंग/ डाईंग—प्रिटिंग) की डिग्री। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी०एस०सी०, रेशम/कृषि/वानिकी/वनस्पति विज्ञान या जन्तु विज्ञान के साथ केन्द्रीय रेशम बोर्ड से मलवरी/ नन मलवरी में 15 माह का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा।
9.	पर्यवेक्षक एवं समकक्ष		किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हस्तशिल्प में डिग्री स्नातक/ डिप्लोमा उत्तीर्ण।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-

- (i). अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उतीर्ण होना अनिवार्य होगा। अर्थात् शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए Online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।
- (ii). खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या—1709, दिनांक—12.09.2007 द्वारा श्रेणी—'ख' के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :—

क्र॰सं॰	प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि
01	02	03
1.	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
2.	भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप स्तर की प्रतियोगिता।	प्रथम स्थान
3.	राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।	विश्व रिकार्ड

नोटः— उपर्युक्त अंकित संकल्प संख्या—1709, दिनांक—12.09.2007 आयोग के वेबसाईट www.jssc.nic.in पर उपलब्ध है।

6. आयु सीमा:—उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जायेगी :—

क्र. सं.	पदनाम	न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि	अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि		
1	2	3	4		
1.	सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष	01.08.2023	01.08.2010		
2.	पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष	01.08.2023	01.08.2010		
3.	अनुमण्डल उद्यान पदाधिकारी एवं समकक्ष	01.08.2023 01.08.2019			
4.	सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष	01.08.2023	01.08.2010		
5.	प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष	01.08.2023	01.08.2010		
6.	निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान	01.08.2023	01.08.2019		
7.	भूतात्विक विश्लेषक	01.08.2023	01.08.2010		
8.	सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष	01.08.2023	01.08.2019		
9.	पर्यवेक्षक एवं समकक्ष	01.08.2023	01.08.2019		

- (क) न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष
- (ख) अधिकतम उम्र सीमाः—(कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या—29, दिनांक—04.01.2021 द्वारा यथा निर्धारित)

- (i) अनारक्षित / आ०क०व० 35 वर्ष ।
- (ii) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) [पुरूष] - 37 वर्ष।
- (iii) महिला [अनारक्षित, आ०क०व०, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—2)] — 38 वर्ष।
- (iv) अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति (पुरूष एवं महिला) 40 वर्ष।
- (ग) सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 (दस) वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। निःशक्तता संबंधी प्रमाण—पत्र राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा पर्षद से विहित प्रपत्र (परिशिष्ट X) में निर्गत होना चाहिए। सभी श्रेणियों में निःशक्ततों का दावा तभी मान्य होगा जब निःशक्तता कम से कम 40% (चालीस प्रतिशत) अथवा उससे अधिक हो।
 - (i) विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र तथा सक्षम प्राधिकार से भिन्न प्राधिकार द्वारा निर्गत होने की स्थिति में निःशक्तता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
 - (ii) आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- (घ) आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जाँच के क्रम में आवेदन प्रपत्र में अंकित निःशक्तता संबंधी दावे के अनुरूप निःशक्तता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
- (ङ) भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण—पत्र यथासमय आयोग द्वारा माँग की जायेगी जिसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (च) उम्र में छूट का लाभ उपरोक्त ''ग'' या ''ङ'' में कोई एक ही मान्य होगा।

7. निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा

निःशक्त श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर स्क्राईब की सुविधा आयोग द्वारा निम्न शर्तों के अधीन दी जायेगी।

- (i) 40% (चालीस) प्रतिशत अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले अंधापन एवं कम दृष्टि, चलन निःशक्तता (दोनों हाथ प्रभावित) तथा सेरेब्रल पाल्सी की कोटि के अभ्यर्थियों को ही उनके अनुरोध पर स्क्राइब की सुविधा एवं परीक्षा में उत्तर देने के लिए 20 मिनट प्रति घंटा की दर से अतिरिक्त समय प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त निःशक्त कोटि के अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन द्वारा लिखने में शारीरिक अक्षमता संबंधी प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र (परिशिष्ट XI) उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- (ii) वैसे निःशक्त अभ्यर्थियों को ही श्रुतलेखक / स्क्राइब की सुविधा मिलेगी जिनके प्रवेश पत्र (Admit Card) में Category के समक्ष आरक्षण वर्ग के पश्चात् PH मुद्रित हो।
- (iii) उपर्युक्त कंडिका—(i) में उल्लेखित निःशक्त अभ्यर्थियों द्वारा श्रुतलेखक / स्क्राइब की सुविधा संबंधी अनुरोध पत्र आयोग कार्यालय में परीक्षा की तिथि से कम से कम 15 दिन पहले समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (iv) उपर्युक्त कंडिकाओं में अंकित अनुदेशों का पालन नहीं करने पर आयोग द्वारा श्रुतलेखक / स्क्राइब की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जायगी, जिसके लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी स्वयं ही उतरदायी होंगे।

8. पात्रता:—

- 1. परीक्षा में बैठने की अनुमित पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कर सकता है। निर्धारित जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गये पात्रता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अविध अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण/अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा एवं अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
- II. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह पूर्णतः सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हत्ता, न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा, आरक्षण की कोटि इत्यादि से सम्बन्धी पात्रता के विषय पर विवरणिका में विहित सभी शर्त्तों को पूरा करते हैं।

9. आरक्षण:

आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

10. (I) आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

(क) आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक—4650, दिनांक—02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक—02.06.2016 तथा इसके पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट—VIII पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक—5752 दिनांक 19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट—IX पर धारित है।

- (ख) 19.07.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा।
- (ग) दिनांक—02.06.2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा।
- (घ) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (ङ) मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जाँच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किये गये दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (च) पिता / पित के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पित के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जाँच के दौरान इस सम्बन्ध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

10. (II) जाति प्रमाण पत्र-

(क) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सन्दर्भ में जिला/अनुमण्डल के उपायुक्त/ अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट—। पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट—॥ पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 2669 दिनांक 10.05.2023 द्वारा यथा संशोधित मानक प्रपत्र में दिनांक 10.05.2023 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी से अन्यून के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट— III पर धारित है।

(ख) झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के सन्दर्भ में दिनांक 29.08.2012 को अथवा इसके पश्चात् उपायुक्त अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रिमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट—IV पर धारित है। किन्तु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थियों का कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रिमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट—V पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 के आलोक में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट—VI पर धारित है।

(ग) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अध्याधीन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ''आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र'' प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के

- प्रमाण स्वरूप, विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-VII) में उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
- (घ) दिनांक 25.02.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र / आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है।
- (ङ) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र / आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होगा।
- (च) मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जाँच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किये गये दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (छ) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के संबंध में केन्द्र सरकार में नियुक्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र (OBC Certificate) मान्य नहीं होगा।
- (ज) शैक्षणिक कार्यों / सेना में भर्ती लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र / आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा।
- (झ) पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र / आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
- (ञ) कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड ,राँची के पत्रांक—235, दिनांक—10.01.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।
- (ट) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते हैं, उनके द्वारा विवरणिका में निर्धारित विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण—पत्र/स्व घोषणा समर्पित करने पर उनकी अभ्यर्थिता अनारिक्षत कोटि के रिक्ति तक अनुमान्यता के सापेक्ष सीमित कर दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में उक्त कोटि के अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारिक्षत कोटि के लिए

निर्धारित शर्तों के अधीन ही होगी। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क आयोग के निदेश पर अनिवार्यतः जमा करना होगा।

नोट:-

- (I) सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के परिशिष्ट—I से परिशिष्ट—IX, पर अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण—पत्र/स्थानीय निवास प्रमाण पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होगा तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गये आवेदन पत्र नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किये जा सकते हैं, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उतरदायी होगे।
- (II) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—II) के अभ्यर्थी द्वारा वैधता समाप्त जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने की स्थिति में विवरणिका में अंकित गैर क्रिमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। वांछित घोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर आयोग द्वारा उक्त प्रमाण—पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (III) स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र में अंकित आवदेक/आवेदक के पिता/पित के नाम एवं नाम की वर्त्तनी (spelling) मैट्रिक/10वीं के सिर्टिफिकेट/अंक पत्र में दर्ज वर्त्तनी (spelling) से भिन्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- (IV) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण–पत्र आयोग द्वारा प्रमाण–पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा।

12. ऑनलाईन (Online) आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश:-

- (i) आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर लें तथा विवरणिका की शर्त्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें।
 - (क) विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक हैं वह उनके पास उपलब्ध हैं।

- (ख) आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर की Scanned प्रति भी अपने साथ रखें।
- (ग) सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें कि इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरण सही हैं अन्यथा आवेदन भरने के पूर्व उसे ठीक करा लें।
- (ii) आवेदक अपने नाम की वर्त्तनी (Spelling) वही लिखेंगे जो मैट्रिक / 10वीं के सर्टिफिकेट / अंक पत्र में अंकित है। मैट्रिक / 10वीं के सर्टिफिकेट / अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गये नाम की वर्त्तनी (Spelling) में अंतर नहीं होना चाहिये। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री / मिस्टर / श्रीमान् आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाय।
- (iii) आवेदक अपने आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि यथा— तिथि, महीना और वर्ष दर्ज करेंगे जो उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है।

13. Online आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित (Submit) करनाः—

ऑनलाईन आवेदन को भरने के लिए दिए गये दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से संबंधित सभी प्रमाण पत्र सामने रखें एवं पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात् ही आवेदन पत्र को जमा (Submit) करें।

- (i) आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग के वेबसाईट www.jssc.nic.in पर जाएँ एवं Online Application for **JTGLCCE-2023** को Click करें तत्पश्चात अपना पंजीकरण (Registration) करें।
- (ii) पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके मोबाईल फोन एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड आ जायेगा। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोटकर सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में लॉगईन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी।
- (iii) पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही पुनः लॉग—ईन कर अपने बारे में विस्तृत सूचना अंकित करें । आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को Save and Continue करने के पश्चात् अगले पृष्ठ की सूचना भरा जाना आवश्यक है। जिस तिथि को

आप यह कार्य पूरा कर लेते हैं उसकी अगली तिथि को 12:00 बजे मध्याह्न के पश्चात् पुनः लॉगईन करें एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दें।

- (iv) परीक्षा शुल्क भुगतान करने के एक दिन के बाद पुनः लॉगईन कर परीक्षा शुल्क भुगतान का विवरण तथा अपना स्कैन किया हुआ (Scanned) फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर अपलोड कर दें। यदि आप अपने अपलोड किये गये फोटो एवं हस्ताक्षर से संतुष्ट हैं तो आवेदन पत्र को समर्पित (Submit) कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले लें तथा इसे भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखें।
- (v) आवेदन पत्र समर्पित करने के पूर्व यह अवश्य देख लें कि दी गई जानकारी सत्य है अन्यथा गलत घोषणा पत्र देने हेतु अभ्यर्थिता रद्द करने एवं अन्य कार्रवाई करने पर आयोग निर्णय लेगा।
- (vi) ऑनलाईन आवेदन में दर्ज सूचनाओं से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों के मूल प्रति की जाँच प्रमाण पत्र जाँच कार्यक्रम में की जायेगी। इस अवसर पर सभी प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द समझी जायेगी। ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावे के समर्थन में वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में आरक्षण/अन्य लाभ देय नहीं होगा/अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी।
- (vii) एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन समर्पित किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किये गये आवेदन को वैध माना जायेगा तथा पूर्व में समर्पित सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित रद्द आवेदनों का परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा।

14. आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन:--

दिनांक—21.02.2024 से दिनांक—22.02.2024 के मध्य रात्रि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ई—मेल आई॰डी॰ एवं मोबाईल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध करायी जायेगी। उपलब्ध लिंक के माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा यदि अपने आरक्षण कोटि को अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—I), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—II) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग कोटि में संशोधित किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त अभ्यर्थी

को संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अन्तर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। साथ ही क्षैतिज आरक्षण अंतर्गत द्विव्यांग अभ्यर्थी द्वारा स्वयं को द्विव्यांग श्रेणी से अलग कर दिए जाने की अवस्था में भी उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अन्तर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। संशोधन के उपरांत पुनः भुगतान हेतु सूचना अलग से उपलब्ध करायी जायेगी। संशोधन के उपरांत अंतर राशि का भुगतान नहीं करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे। संशोधन की तिथि के पश्चात् किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गये आवेदन के आधार पर ही आवेदक के सन्दर्भ में परीक्षा प्रक्रिया पूरी होगी।

15. आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ :--

- क) रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक—16.01.2024 से दिनांक— 15.02. 2024 की मध्य रात्रि तक।
- ख) परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक— 17.02.2024 की मध्य रात्रि तक।
- ग) फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेने के लिए दिनांक— 19.02.2024 की मध्य रात्रि तक।
- घ) दिनांक— 21.02.2024 से दिनांक— 22.02.2024 के मध्य रात्रि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जायेगी जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। छूट सिहत परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा।

16. परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया:--

परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए Submit To Proceed Payment Click करें। एक नया पेज खुल जायेगा जिसमें Term & Condition को टिक (√) कर Proceed बटन दबाकर आगे बढ़ें। इसके बाद Select Payment category के सामने JTGLCCE-2023 Select करें तथा अपना Registration Number डालकर अपना परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।

17. पदों का विकल्प :-

अभ्यर्थी विवरणिका में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उपलब्ध पदों के लिए अधिमानता क्रम में विकल्प दे सकते हैं।

18. <u>परीक्षा का स्वरूप</u> :— आयोग द्वारा ओ॰एम॰आर॰ / CBT (Computer Based Test) आधारित ली जायेगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का Normalisation किया जायेगा। अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के Normalised अंक के आधार पर तैयार किया जायेगा तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात उन्हें Normalised अंक ही दिया जायेगा।

परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगा :--

परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :-परीक्षा एक चरण (मुख्य परीक्षा) में ली जायेगी।

- परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का
 पूर्ण अंक 3 (तीन) होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 (तीन) अंक दिये जायेंगे
 तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 (एक) अंक की कटौती की जायेगी।
- भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे।

19. मुख्य परीक्षा :--

मुख्य परीक्षा के लिए तीन पत्र होंगे। यह परीक्षा तीन पालियों में ली जायेगी। इसमें निम्न विषय रहेंगे:--

- 19.1 पत्र—1 (भाषा ज्ञान) : कुल प्रश्न—120, परीक्षा अवधि—2 घंटा
 - (क) हिन्दी भाषा ज्ञान

60 प्रश्न

(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान

· 60 प्रश्न

- भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (Qualifying) होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंको को जोड़ कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जायेगा।
- 19.2 पत्र —2—जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा : कुल प्रश्न—100, परीक्षा अवधि— 2 घंटा

हिन्दी / अंग्रेजी / उर्दू / संथाली / बंगला / मुण्डारी (मुण्डा) / हो / खड़िया / कुडूख (उरांव) / कुरमाली / खोरठा / नागपुरी / पंचपरगनिया / उड़िया / संस्कृत में से किसी एक

भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे।

- 🕨 चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 19.3 पत्र— **3 (तकनीकी / विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान)** : कुल प्रश्न—**150**, परीक्षा अवधि—2 घंटा **30** मिनट
 - (क) तकनीकी / विशिष्ट विषय 100 प्रश्न
 - (ख) सामान्य अध्ययन 20 प्रश्न
 - (ग) सामान्य गणित 20 प्रश्न
 - (घ) सामान्य विज्ञान 10 प्रश्न

🕒 \succ तकनीकी / विशिष्ट विषय में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

टिप्पणी:— पत्र—1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% (तीस प्रतिशत) है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जायेंगे तथा ऐसे अभ्यर्थियों के पत्र—2 एवं पत्र—3 का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा प्रश्न पत्र—2 में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र—3 का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम पत्र–1 (भाषा ज्ञान)

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान :--

- (i) हिन्दी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 30 प्रश्न
- (ii) हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 30 प्रश्न

इस विषय में हिन्दी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान :-

- (i) अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 30 प्रश्न
- (ii) अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 30 प्रश्न

इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

पत्र-2 (जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा)

हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी (मुण्डा)/ हो/ खड़िया/ कुडूख (उरांव)/ कुरमाली/ खोरठा/ नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे। उक्त पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी।

जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट-XII पर धारित है।

पत्र -3(तकनीकी / विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान)

- (क) तकनीकी / विशिष्ट विषयों का पाठ्यक्रम अलग से प्रकाशित किया जाएगा।
- (ख) (i) सामान्य अध्ययन:-

इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन—प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम—सामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल—खिलाड़ी, महत्त्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। झारखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थित की सामान्य जानकारी।

(ii) सामान्य विज्ञानः-

सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन—प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(iii) सामान्य गणित:-

इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक / 10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

20. मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण :

- (i) आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत विवरणिका की कंडिका—19.3 की टिप्पणी के अधीन प्रश्न पत्र—2 चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा एवं पत्र—3 तकनीकी/ विशिष्ट विषय में प्राप्त Normalised अंकों को जोड़कर समेकित अंकों के आधार पर सामान्य मेधा—सूची (Common Merit List) तैयार की जायेगी और मेधा (Merit) के आधार पर कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
- (ii) मेधा—सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हे अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातक स्तर तकनीकी / विशिष्ट योग्यता परीक्षा में प्राप्त अकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा, अर्थात स्नातक स्तर तकनीकी / विशिष्ट योग्यता परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।
- (iii) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरुद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- (iv) परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा—सूची में शामिल नहीं किया जायेगाः—
 - (I) अनारक्षित / आ. क. व. 40 (चालीस) प्रतिशत
 - (II) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं महिला 32 (बत्तीस) प्रतिशत
 - (III) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग —(अनुसूची—1) 34 (चौंतीस) प्रतिशत
 - (IV) पिछड़ा वर्ग अनुसूची—2 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत

- 30 (तीस) प्रतिशत

- (V) आदिम जनजाति
- (v) उपर्युक्त उप कंडिकाओं के आधार पर सामान्य मेधा—सूची तैयार की जायेगी और तदुपरान्त रिक्तियों के सापेक्ष आरक्षण कोटि वार चयन सूची गठित होगी।

21. अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन

विवरणिका की कंडिका—20 के आधार पर मेधासूची प्रारूप गठित करने के पश्चात् आयोग के द्वारा अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का पात्रता / अहर्त्ता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच की जायेगी।

प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार के आवेदन पत्र में अंकित दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी उक्त कोटि की रिक्ति के लिए स्थापित नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों के विरुद्ध मेधासूची में उपलब्धता के आलोक में निचले क्रम के उम्मीदवारों को आयोग द्वारा प्रमाण–पत्रों की जाँच के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

22. नियुक्तिः-

- (i) परीक्षा में सफलता सेवा पदों पर नियुक्ति के लिये कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा, जब तक झारखण्ड सरकार का, ऐसी जांच के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाय, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिये अपने चरित्र और पूर्व वृत्त के सम्बन्ध में सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (ii) सेवा में नियुक्तियाँ समय—समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—1), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—2) तथा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिये सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आदेशों के अध्यधीन होगी।

23. अन्यान्य:-

- आयोग द्वारा परीक्षाओं के संचालन के अवसर पर झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित संसाधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 के प्रावधान प्रभावी होगें।
- 2. आवेदन में अंकित सूचनाओं एवं प्रविशिष्टयों की पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की होगी तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

- 3. विवरणिका में प्रावधानित वांछित शैक्षणिक अहर्त्ता/स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र/निःशक्तता प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्रों से संबंधित किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 4. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के विषय पर अभ्यर्थी / उनके माता—पिता / अभिभावक द्वारा:—
 - (i) आवेदन प्रपत्र में गलत सूचना देने / गलत प्रमाण पत्र समर्पित करने / जालसाजी,
 - (ii) परीक्षा के दौरान अवैध तरीका अपनाने / नकल करने / फर्जी अभ्यर्थी को अपनी जगह पर परीक्षा में बैठाने / कदाचार करने में लिप्त पाये जाने,
 - (iii) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर आयोजित काउन्सेलिंग (Counselling) के दौरान फर्जी प्रमाण-पत्रों / फर्जी पहचान के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में स्थान पा जाने की स्थिति में वे निम्न दण्ड के भागी होंगे :--
 - (क) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।
 - (ख) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिये अगले 2 वर्षों के लिये वंचित कर दिया जायेगा।
 - (ग) अपराधिक घटना की स्थिति में अभ्यर्थी / उनके माता—पिता / अभिभावक यथास्थिति जो भी उत्तरदायी हो, के विरूद्ध विधि के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।
- 5. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र/उम्मीदवारी निम्न अवस्थाओं में रद्द किया जा सकेगा :--
 - (i) अभ्यर्थी की उम्र परीक्षा में भाग लेने के लिये निर्धारित उम्र सीमा में नहीं होना।
 - (ii) शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करना।
 - (iii) आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं करना, निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना, फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं करना, आवेदन में संशोधन के उपरांत परीक्षा शुल्क की अंतर राशि की भुगतान नहीं करना।

- (iv) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर उम्मीदवारी के समर्थन में आवश्यक अर्हताओं से सम्बन्धित यथा निर्धारित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं करना।
- (v) आयोग की परीक्षा में नकल करना।
- (vi) आयोग की परीक्षा में अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को फर्जी ढंग से शामिल करना।
- (vii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य देकर परीक्षा में शामिल होने का अधिकार पा जाना, जो किसी भी समय प्रमाणित हो।इस विषय पर आयोग को निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- (viii) आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिये प्रवेश पत्र जारी होना अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को संरक्षित नहीं कर सकेगा।
- (ix) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द करने के विषय पर निर्णय लेने के पूर्व उसे अपना पक्ष रखने के लिये समुचित अवसर दिया जायेगा तथा पूरे मामले पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त आयोग विधिसम्मत निर्णय लेगा।
- (x) उम्मीदवारी को रद्द करने के विषय पर निर्णय की जानकारी अभ्यर्थी को यथासमय दी जायेगी।
- (xi) परीक्षाफल प्रकाशन होने के 7 दिनों के अन्दर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में 500 (पाँच सौ रूपये) शुल्क के साथ पुर्नमूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेगा। इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जायेगा।
- (xii) किसी परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों द्वारा सामूहिक नकल / कदाचार किये जाने की शिकायत होने और जाँच में इसे प्रमाणित पाये जाने पर उक्त परीक्षा केन्द्र पर संपादित परीक्षा को रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में पुनः उसकी परीक्षा नहीं ली जायेगी।

- (xiii) परीक्षा की अवधि में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने की अनुमित नहीं होगी। परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमित नहीं होगी।
- (xiv) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि Online भरा हुआ आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व उसे एक बार भली भांति जाँच ले ताकि कोई त्रुटि न रह जाये।
- (xv) वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग / झारखण्ड लोक सेवा आयोग / झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग / अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- (xvi) परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन, पेजर, Bluetooth आदि अथवा इस प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रोनिक उपकरण ले जाना वर्जित होगा। परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी प्रकार का इलेक्ट्रोनिक उपकरण पाये जाने पर उस अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाऐगी।

अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि परीक्षा में उपयोग होने वाले वस्तुओं को ही ले जाय। परीक्षा केन्द्र परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाये रखना परीक्षार्थियों का दायित्व होगा।

(xvii) प्रवेश पत्र (Admit Card) आयोग के Website पर Upload होगा जिसे अभ्यर्थी Download कर परीक्षा में शामिल होंगे। प्रवेश पत्र (Admit Card) डाक से अलग से नहीं भेजा जायेगा। बिना प्रवेश पत्र (Admit Card) के परीक्षा में बैठने की अनुमित नहीं दी जायेगी।

प्रवेश पत्र (Admit Card) में नाम/फोटो/हस्ताक्षर में त्रुटि होने पर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। अतः अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदन पत्र में अपना नाम, फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान सुनिश्चित कर लें।

- (xviii) परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएँ अधिकृत रूप से आयोग के वेबसाईट पर दिया जायेगा।
- (xix) Online दिये गये आवेदन एवं परीक्षा शुल्क की भुगतान से संबंधित बैंक चालान की प्रति परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेगें। इन कागजातो की आवश्यकता भविष्य में हो सकती है।
- (xx) आयोग को अपरिहार्य कारणों से परीक्षा के कार्यक्रम में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- (xxi) प्रवेश पत्र (Admit Card) की मूल प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, प्रमाण-पत्रों के जाँच के क्रम में आयोग द्वारा इसकी मांग की जाएगी।

ह. / – परीक्षा नियंत्रक।

<u>परिशिष्ट—(I)</u>

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक— 7/जा.नि. —19—11/2008 का.—5682 दिनांक— 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरक 	ार
(कार्यालय का ना	म)
जाति प्रमाण–प (सभी कार्यों के लि	
संख्या	নিথি:—
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी	
गुत्र/पुत्री/पत्नी, श्रीि नि	वासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला
डाकघर थाना जिला	राज्य
अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* श्रेणी के अन्तर	र्गत जाति / उप जाति
के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिये अनुसूचित	जाति*/अनुसूचित जनजाति* के रूप में
नान्यता प्राप्त है।	
2. श्री / श्रीमती / कुमारी एवं / अथ	वा उनका/उनकी परिवार साधारणतः
गांव / कस्बा, शहर,	जिला गंज्यमें
नेवास करते हैं।	
स्थान :-	सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	नाम
देनांक :	पदनाम
कार्यालय की मुहर)	
नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।) 1. * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–23 एवं अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन जनजाति) संशोधन आदेश 1950	न आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित
२. * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशो	धन) अधिनियम, 2002.

परिशिष्ट-(II)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक— 14/जा॰नि॰—03—13/2015/का॰ 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का फार्म (कार्यालय का नाम)

	(कार्यालय का नाम)				
प्रमाण पत्र सं0 :			दिनांक :-	_	
प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्री/ पति श्री		(विवाहित	महिला	के मामले	में)
पता—ग्राम / वार्ड / शहरराज्य /					
राज्य में यथा अनुसूचित जाति अथवा अनु	पुसूचित जनजाति के				
2. तथा / अथवा उन जिला / प्रमण्डल			ाज्य के ग्राम,	/ नगर	
3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक की सूची में कोई परिवर्त्तन होने तक वैद्य हो		अनुसूचित ज	गाति अथवा ३	अनुसूचित ज	नजाति
टिप्पणी क) यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निव धारा— 20 में है एवं अंकित स्थान उ ख) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लि i) जिला दण्डाधिकारी/ अप प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/ समाहर्त्ता एवं सहायक दण्ड ii) अंचल अधिकारी	आवेदक के स्व–घोषणा ए सक्षम प्राधिकारों की र दण्डाधिकारी/ उप / अनुमण्डल दण्डाधि	पर आधारित सूची निम्नवत ायुक्त/ अपर	है। ग् निर्दिष्ट है:- ए उपायुक्त /	- ं अपर समा	ाहर्त्ता /
ग) बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 व द्वारा यथासंशोधित संशोधन आदेश (अनुसूचित जानजातियों के लिए) अधिनियम 2002 द्वारा गठित झ जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों	ा 1950 (अनुसूचित ज तथा अनुसूचित जाति गारखण्ड में रिक्तियों	गतियों के लि एवं अनुसूचि और पदों	ए) तथा संश् वृत जनजाति (अनुसूचित उ	गोधन आदेन आदेश (सं	1950 iशोधन)
स्थान :					
दिनांक :		हस्ताक्षर			

<u>परिशिष्ट (III)</u>

संशोधित

मारत सरकार/झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिये अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण–पत्र जारी किये जाने का फारम
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पिता ग्राम/नगर
जिला / प्रमंडल राज्य / संघशासित प्रदेश
निम्नलिखित के अधीन यथा मान्यताप्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के
अधीन जाति / जनजाति के सदस्य हैं:-
* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
* संविधान (अनुसूचित जाति) (संघशासित प्रदेश) आदेश, 1951
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ शासित प्रदेश) आदेश, 1951
(अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची (संशोधन) आदेश, 1956, बॉम्बे पुनर्गठन
अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1971 और उत्तर पूर्व
क्षेत्रों (पुनर्गठन) अधिनियम 1976 द्वारा यथासंशोधित)
* संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
* संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, अनुसूचित जनजाि
आदेश अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अनुसूचित जनजाति आदेश, 19
द्वारा यथासंशोधित
* संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
* संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
* संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967
* संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
 * संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
* संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
 * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
* संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
* संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
* संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991
* संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996
* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
 * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002
* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
2. श्री / श्रीमती / कुमारी तथा / अथवा उनका परि
सामान्य रूप से राज्य/संघशासित प्रदेश के ग्राम/नगर
जिला / प्रमंडल में निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी:

- क. यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है।
- ख. जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है :
 - i) जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/तालुका दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के पद से अन्यून)
 - ii) मुख्य प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/अपर प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी।
 - iii) राजस्व पदाधिकारी, जो तहसीलदार के पद से अन्यून होगा।
 - iv) उस क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी जहाँ अभ्यर्थी और / अथवा उसका परिवार रहता है।

स्थान	हस्ताक्षर
तिथि	पदनाम
	कार्यालय के सील सहित

परिशिष्ट—(IV)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-7/जाति-19-11/2008 का.-10007 दिनांक- 29 अगस्त, 2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत कया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती	/ कुमारी
पुत्र / पुत्री	
थाना जिला झा	
जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-2001*,** व	
(अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के अधीन	
में मान्यता प्राप्त समुदाय से आ	ते/आती हैं।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
विभाग के संकल्प संख्या—3482 दिनांक— 10.06.2002	C
विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या—3601	
08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित व्यित	,
स्थान :	सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	नाम
दिनांक :	पदनाम
	(कार्यालय की मुहर)
(नोट:- जो लाग नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)	3.7

- झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में अंकित जातियाँ / उप जातियाँ।
- 2. ** झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या-3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12. 2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01. 2008, 5108 दिनांक 23.09.2008, 4450 दिनांक 01.08.2001, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06. 01.2012. 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय—समय पर यथा संशोधित।

पदनाम	कार्यालय	के न	सील	सहित

परिशिष्ट-(v)

क्रीमीलेयर रहित होने सम्बन्धी स्व-घोषणा पत्र

(यह आवेदक / आवेदिका द्वारा पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ समर्पित किया जायेगा)

में		पिता	
पति /	पत्नी	निवासी, ग्राम /	/ कस्बा / शहर
	पोस्ट		
अंचल	जिला		राज्य
एतद् :	द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं		
सरकार झारखा नियोज	प का / की हूँ जो कि कार्मिक लोक शिकायत र, नई दिल्ली के दिनांक 08.09.1993 के कार्या एड राज्य के संकल्प संख्या न / नामांकन में आरक्षण के प्रयोजन से भार	iलय ज्ञापन संख्या 360 दिनांक रत सरकार/ झारखण्ड	112 / 22 / 93 स्थाः (एसःसीःटीः) / में निहित आदेश के अनुसार इ सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग /
अत्यन्त	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—I) / पिछड़ा वर्ग (अनुर	पूचा—II) क रूप म मान्	य ह।
2. द्वारा व्र	यह कि मुझे झारखण्ड राज्य के जिला गीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र संख्या		
	मैं यह भी घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि वि र्षिक आय होने के कारण क्रीमीलेयर में नहीं 3		ने दौरान मैं आठ (8) लाख रूपये से
4. कार्याल	मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ाय ज्ञापन की अनूसूची के कॉलम—3 में उल्लिजि		· ·
	मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि यदि कि आलोक में प्राप्त आरक्षण एवं अन्य आनुषं नुसंगत धाराओं के तहत मेरे विरूद्ध कानूनी का	गेक सुविधाओं को रद्व	र करते हुए धारा 193 भा.द.वि. एव
		आवेदक / आवे	दिका (घोषणाकर्त्ता) का हस्ताक्षर

परिशिष्ट—(VI) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक— 14/जा॰नि॰–03–13/2015/का॰ 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र का प्रपत्र

(कार्यालय का नाम)

प्रमाण पत्र सं0 :	दिनांक :
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री /पति श्री	
ग्राम / नगर जिला / प्रमंडल	राज्य / संघशासित प्रदेश
जाति के सदस्य हैं, जो झारख (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े व पिछड़े वर्ग (अनुसूची—I और II) के रूप में मान्यता प्राप्त हैं माननेवाले हैं।	वर्गो के लिए) अधिनियम 2001 के अधीन
2. तथा, झारखण्ड राज्य के ग्राम/ नगर में निवास करता है/करते हैं।	
3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के ज्ञापांक 36012/22/93—स्थाः (एसःईंटीः) दिनांक 08.09.19 तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा यथा अंगीकृत के अधीन क्रीमीलेयर व्यक्ति/वर्ग के सद	93 की अनुसूची के स्तम्भ—3 में उल्लिखित संकल्प संख्या—3482 दिनांक— 10.06.2002
4. यह प्रमाण पत्र कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/ के अपवर्जनों के नियमानुसार प्रगणित आवेदन तथा उसकी/ के आधार पर जारी किया जाता है तथा यह निर्गत होने विकन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी अद्यतन स्वधोषणा प्रप्रमाण पत्र की वैद्यता स्वधोषणा पत्र समर्पित करने के वित्तीय	' उसके माता—पिता द्वारा किये गये घोषणा की तिथि से एक वर्ष के लिए वैद्य होगा। त्र (फार्म संख्या—15) संलग्न करने पर इस
स्थान :	
दिनांक :	हस्ताक्षर
	पदनाम
	कार्यालय के सील सहित

परिशिष्ट-(VII)

Government of Jharkhand

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSET SECTIONS	CERTIFICATE TO BE P	RODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER
Certificate No		Date
Valid for the Year		
of	permanent processes perman	bove; d above in notified municipalities; s and above in areas other than the notified
Recent Passport size attested Photograph of the applicant		Signature with seal of office Name Designation

- *Note: 1. Income covered all sources i.e. salary, business, profession, etc.
- **Note: 2. The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.
- ***Note: 3. The property held by a "Family" in different places/ cities have been clubbed while applying the land or property holding tests to determine EWS status.

परिशिष्ट-(VIII)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक— 14/स्थानीयता. नीति—14—03/2016 का.—4650 दिनांक— 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिनांक— 02.06.2016 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

	झारखण्ड सरकार			
झारख	(कार्यालय का नाम) ण्ड का स्थानीय निवासी प्रव	माण <u>पत्र</u>		
प्रमाण पत्र सं0 :		ি	देनांक :	
प्रमाणित कि	या जाता है कि श्री/श्रीम	ती / सुश्री		
पिता / पति श्री	पता–ग्राम / वा	र्ड / शहर		पो0
थाना	जिला	के	स्थानीय निवासी	हैं और
यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनि	क सुधार तथा राजभाषा वि	ग्रेभाग, झारख	ाण्ड सरकार के	संकल्प
संख्या—3198 दिनांक— 18.04.2016	की कंडिका—	में उल्लिखित	त प्रावधानों के आव	त्रोक मे
निर्गत किया गया है। प्रमाण प	ग्त्र धारक की ओर से इ	गरखण्ड के	अतिरिक्त किसी	अन्य
राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीर	र्य निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञ	ान की प्रतिब	द्धता की गई है।	
रथान :-				
दिनांक :				
कार्यालय का मुहर			त्र निर्गत करने वाले री का नाम एवं पव	

परिशिष्ट-(IX)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक— 5752 दिनांक— 19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अंचलाधिकारी द्वारा दिनांक—19.07.2019 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

(कार्यालय का नाम) झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं. :-			वि	देनांक :	
प्रमाणित किया	जाता है कि श्री/श्रीमती	⁄ सुश्री		पिता / पति	ो श्री
	पता-ग्राम / वार्ड	/ शहर		पो0	
	जिला				
कार्मिक, प्रशासनिक र्	मुधार तथा राजभाषा विभाग	ा, झारखण्ड स	ारकार के संकल	प संख्या—3198	दिनांक–
18.04.2016 की कंडिव	- ज्ञा— में उ	ल्लिखित प्रावध	गनों के आलोक	में निर्गत किया	गया है
प्रमाण पत्र धारक की	ओर से झारखण्ड के अति	रिक्त किसी अ	न्य राज्य/केन्द्र	शासित प्रदेश व	े स्थानीय
निवासी नहीं होने का	प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की	ो गई है।			
स्थान :					
दिनांक :					
कार्यालय का मुहर			प्रमाण पत्र निर्गत	त करने वाले	
			गदाधिकारी का न		

परिशिष्ट-(x)

		,	
संस्थान/अस्पताल का नाम	और पता		अनुबन्ध–1
प्रमाण पत्र संख्या		तारीख	
	निःशक्तता प्र	<u>माण पत्र</u>	चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की नि:शक्तता दर्शाता हो।
प्रमाणित किया	जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी	Ī	
सुपुत्र / पत्नी / सुपुत्री		आयु	लिंग
पहचान चिन्ह			नम्नलिखित श्रेणी र्क
स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त–			
क. गति विषयक (लोकोर्म	ोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षा	घात (फॉलिज)	
(ii) दोनों बाहें (बी॰ए॰) (iii) दोनों टांगे और बाहें (बी	- दोनों पैर प्रभावित किन्तु - दोनों बाहें प्रभावित •एल ॰ए॰) — दोनों टांगे और बाहें एक टांग प्रभावित (दायां बायां) (क) दुर्बल पहुँच (ख) कमजोर पकड	(क) दुर्बल पहुँच (ख) कमजोर पकड़	
(v) एक बांह (ओ॰ए॰)	(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस) एक बांह प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच (ख) कमजोर पकड़ (ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)		
(vii)कमजोर मांस पेशियां (ए	ा。)— पीठ और नितम्ब में कड़ापन नि.डब्ल्यू。) — मांस पेशियों में कम		
 ख. अंधापन अथवा अल्प कें (i) बी.— अंधापन (ii) पी. बी.— आंशिक रूप कें ग. कम सुनाई देना (i) डी.— बंधिर (ii) पी. डी.— आंशिक रूप कें (उस श्रेणी को हटा दें कें 	से अंधता से बधिर		

2. यह रि	थिति में प्रगामी है / गैर प्रग	nमी है / इसमें सुधार होन	ने की संभावना	है / इसग	में सुधार हो	ने की ज	संभावना नहीं
है। इस म	ामले का पुनर्निधारण किए	जाने की अनुशंसा की	जाती।		वर्षों		महिनों
की अवधि	के पश्चात पुनर्निधारण कि	ए जाने की अनुशंसा की	जाती है।				
3. उनके	मामले में निःशक्तता का प्र	तिशत	है ।				
4. श्री/%	गीमती / कुमारी		अपने कर्त्तव्य	ों के वि	निर्वहन के	लिए	निम्नलिखित
	अपेक्षाओं को पुरा करते/व						
(i) एफ -	- अंगुलियों को चलाकर क	ार्य कर सकते/सकती हैं	I		हाँ / नहीं		
(ii) पी。 पी	.– धकेलने और खींचने व	जिरिए कार्य कर सकते /	'सकती हैं।		हाँ / नहीं		
(iii) एल -	उठाने के जरिए कार्य क	र सकते / सकती हैं।			हाँ / नहीं		
(iv) के。 सी	l.— घुटनों के बल झुकने :	और दबक कर कार्य कर	सकते / सकती	हैं।	हाँ / नहीं		
(v) बी -इ	मुक कर कार्य कर संकते /	सकती हैं।			हाँ / नहीं		
(vi) एस -	बैठकर कार्य कर सकते _/	'सकती हैं।			हाँ / नहीं		
(vii)एस。 व	री₀– खड़े होकर कार्य कर	सकते / सकती हैं।			हाँ / नहीं		
(viii)डब्ल्यू	– चलते हुए कार्य कर र	किते / सकती हैं।			हाँ / नहीं		
(ix) एस.ई.	– देख कर कार्य कर सक	न्ते / सकती हैं।			हाँ / नहीं		
(x) एच -	सुनने / बोलने के जरिए	कार्य कर सकते/सकती ह	<u> </u>		हाँ / नहीं		
(xi) आर。	डब्ल्यू – पढ़ने ओर लिखने	के जरिए कार्य कर सक	ते/सकती हैं।		हाँ / नहीं		
(ভাঁ০)	(ভাঁ০)	(ভাঁ০)
सद	स्य	सदस्य			अध्य	ধ	
चिकित	सा बोर्ड।	चिकित्सा बोर्ड।			चिकित्सा	बोर्ड ।	

चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी / अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षारित। (मुहर सहित)

जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट (XI)

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता	
प्रमाण पत्र संख्या	तारीख
लिखने में अक्षमता	मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो निःशक्तता दर्शाता हो।
सुपुत्र / पत्नी / सुपुत्री पहचान चिन्ह	. का परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। जाँचोपरांत
जो लागू न हो काट दें।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन (मुहर सहित)
नोट— प्रमाण पत्र संबंधित दिव्यांगता के चिकित्र (उदाहरण — अंधापन और कम दृश्टि —	

परिशिष्ट-(XII)

संताली भाषा

खण्ड 'क'

(i) व्याकरण — भाषा परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरूष, क्रिया, काल, विशेषण अव्यय, प्रत्यय, पहेलियाँ मुहावरे, भेनताकाथा, बुझोबोल, कुद्रुम, सजीव—निजींव, समोच्चरण भिनार्थक अर्थ, लकोक्ति।

खण्ड 'ख'

(ii) साहित्य –

संताली लोक साहित्य — अर्थ, परिभाषा, भाग—विभाग, संतालों का उद्भव और विकास, गोत्र विभाजन, गाढ़ विभाजन, पर्वत्यौहार, संस्कार विवाह, मृत्यू।

लोक गीत – डाहार, बाहा, सोहराय काराम, दोङ, विबाह, दाँसाय।

संताली शिष्ट साहित्य — कविता—कुङकुरुबुद, (हरिहर हाँसदा), साँवहेंत्, (बादल मुर्मू), माराङोः, (सारदा प्रसाद किस्कू), सेंगेल, बिरसा मुण्डा, (के० सी० टुडू), तुपुनघाट, (रघुनाथ टुडू). साना (डमन हाँसदा), राहला रिमिल (डमन हाँसदा), चेहरा (श्यामचरण हेम्ब्रम)।

खण्ड 'ग'

लोक कथा — धारती सिरजाव काथा, मानवा सिरजाव काथा पारिस काथा, सेंदराकारका काथा, पाराब पुना काथा।

कहानी— माड़घाटी, (दिगम्बर हाँसदा), तारा आञचार, (के० सी० टुडू), आनखा लाहा, (सोभानाथ बेसरा), काथा रेनाङ गोनोङ, (चमपावती टुडू)

नाटक – किरिञ सिंदुर, तिलका मुरमू ।

निबंध — सिदो कानहू हुल, बाबा तिलका माँझी हुल, डिबा किसुन हुल, बिरसा आन्दोलन, पर्व—त्यौहार, आगिल हापडाम कोवाः काथा।

खडिया भाषा

खण्ड 'क'

व्याकरण — वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाच्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द।

<u>खण्ड 'ख'</u> पद्य साहित्य

- (1) लोकगीत :- खड़िया लोकगीत की परिभाषा, वर्गीकरण 10 विविध लोकगीत
- (2) शिष्टगीत :-
 - 1. सेनेल नुवस केरके' हा
 - 2. जोहार प्यारा केरके'हा
 - 3. गलगाथा क्रूस दारू तो'मलुङ ताय पादरी सामुएल बागे
 - 4. दुरङनानिङ आलोङनानिङ दारू तेगा श्री सामुएल बागे
 - 5. ए अपा
 - 6. सेनेल
 - 7. धाइन तेरतेले
 - ८. कि'तुङ' अपा
 - 9. उमिञ चोना डॉ. अनिल वीरेन्द्र कुल्लू
 - 10. भंइहर पो'दा सुं. प्रफुल्ल सोरेङ

(3) कविताएँ :--

- 1. लमलम प्यारा केरके'ट्टा
- 2. 26 जनवरी प्यारा केरके' हा
- 3. महाजियोम गाँधी प्यारा केरके'ट्टा
- 4. झाड़ी धरम मोञ प्यारा केरके'ट्टा
- 5. किनिर- प्यारा केरके'ट्टा
- 6. घोल मोलोय अगस्त
- 7. लोटा' डा' मेरी एस. सोरेङ
- 8. नेडा' साडा
- 9. बेताङ
- 10. आदिबासी अम' कहनी

<u>खण्ड 'ग'</u> खड़िया गद्य साहित्य

- (1) लोक कथा :- (दस लोककथाएँ) अनुष्ठान संबंधी कथाएँ, हास्य-व्यंग्यपूर्ण कथाएँ, अलौकिक तत्वों से युक्त कथाएँ, पशु-पक्षी संबंधी कथाएँ, सामाजिक कथाएँ तथा परी कथाएँ।
 - (1) सुगी ओडो' मुनी
 - (2) कुली बूढ़ी
 - (3) ढेला रो उल'
 - (4) कोन्होर रो लोङगोय
 - (5) टेटेटोहों'ज
 - (6) साँखी रो कोइली
 - (7) कोनजो' के'ढिङ
 - (8) चुटिया रो केंडो'ड
 - (9) कुरकुर से बेइचडोम
 - (10) लिटिया ओडो' चुटिया
- (2) शिष्ट कहानी (आधुनिक कहानियाँ) :-
 - (1) मोञ बिता ला'ज प्रो० मेरी एस० सोरेङ
 - (2) लूर धो' मसटर सु० पतरस बा'
 - (3) बोरजा' प्रो. मेरी एस० सोरेङ
 - (4) बुधवा' कोरमो सु. पतरस बा'
 - (5) महाकिमिन सु. कुमार बा'
 - (6) जिनगी उम बोनेता बायना होयता सु. जुएल सोरेङ
 - (7) राजा बेटा' बराकाईत श्री जुलिमुस बा'
 - (8) इना सुग्गी उम तोरो'ताम रोज टेटे
- (3) खड़िया नाटक :- सिलिम खोड़ी या' सोमरा इलियस बा'
- (4) साहित्यिक निबंध :--
 - (1) प्यारा केरकेट्टा
 - (2) जुलियुस बा'
 - (3) डॉ॰ रोज केरके'हा
 - (4) डॉ० माथियस डुङडुङ
 - (5) डॉ॰ जोवा किम डुङडुङ
 - (6) डॉ० आर. पी. साहू
 - (7) डॉ० अनिल वीरेन्द्र कुल्लू
 - (8) डॉ० मेरी एस. सोरेङ

Odia Language and Literature

1. Grammar:-

Barna, Shabdagathana, Linga, Bachana, Karaka, Bibhakti, Sandhi, Samasa, Yugma Shabda, Bhinnarthaka Shabda, Anekarthaka Shabda, Biparitarthaka Shabda, Krudanta, Taddhita O Chhanda, Alankara.

- 2. Bhasha Bhaga:-
 - A. Bhasha
 - B. Upabhasha
 - C. Bhasha Parivartanara Karana O Diga
 - D. Dhwoni Parivartanara Karana O Diga
 - E. Artha Parivartanara Karana O Diga
- 3. Padya Bhaga:-
 - A. Loka Geeta (Doli Geeta, Karama Geeta, Tusu Geeta, Bibaha

Geeta O Kandana Geeta)

B. Shrimad Bhagbat - Jagannath Das

C. Rasakallola - Dinakrushna Das

D. Tapaswini - Gangadhara Meher

E. Kishora Chandrananda Champu - Kabisurya Baladeva Rath

F. Kalijai - Godabarisha Mishra

G. Kara Kavita - Gopabandhu Das

H. Shriyachandaluni - Radhamohan Gadnayak

- 4. Gadya Bhaga:-
 - A. Loka Kahani (Rupakatha, Upakatha, Osha O Bratakatha,

Pashupakhyira Katha)

B. Rebati - Fakir Mohan Senapati

C. Aneka Smita Hasa - Manoj Das

D. Chha Mana Atha Guntha - Fakir Mohan Senapati

E. Paraja - Gopinatha Mahanti

F. Konarka - Ashwini Kumar Ghosh

G. Ghara Sangsara - Rama Chandra Mishra

H. Abishkara - Manoranjan Das

पंचपरगनिया

खण्ड 'क'

व्याकरण :--वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, ऊनार्थक शब्द ।

खण्ड 'ख'

पद्य साहित्य

लोकगीत:-

- 1. पंचपरगनिया लोकगीत
- 2. लोकगीत की परिभाषा और महत्व
- 3. पंचपरगनिया लोकगीतों की विशेषताएँ
- 4. पंचपरगनिया लोकगीतों में भाव, रस, छंद और कला सुन्दरइ
- 5. पंचपरगनिया लोकगीतों में प्रकृति चित्रण
- 6. पंचपरगनिया करम गीतों के प्रकार
- 7. पंचपरगनिया विवाह गीतों का वर्गीकरण
- 8. पंचपरगनिया दुसू गीतों का वर्गीकरण
- 9. पंचपरगनिया विवाह गीतों का भाव सौन्दर्य
- 10. संहरइ गीतों का वर्गीकरण।

शिष्टगीत / कविताएँ-

- 1. सावन मास सृष्टिधर महतो 'समीर'
- 2. झागड़ा सृष्टिधर महतो 'समीर'
- 3. रावन बध डॉ० चन्द्रमोहन महतो
- 4. जीवन पथेक फूल परमानन्द महतो
- 5. जीवन पथेक फूल राजकिशोर सिंह
- 6. बांबरा (कविता संग्रह) दिनबंधु महतो एवं परमानन्द महतो
- 7. महुआ रस सहोदर खंडित

खण्ड 'ग'

लोककथा:- पंचपरगनिया लोककथा, संपादक-परमानन्द महतो

- 1. करमा धरमा केर काथा
- 2. बारहा आर भालू
- 3. सतनाराइन काथा
- 4. जितुआ बरत केर काथा
- 5. बिएजरी आर पाँचपरी
- 6. ठकुआ आर भिखुआ
- 7. मामा-भगिना
- 8. बिन बापेक छुआ
- 9. पँठी सनी
- 10. चालाक बिलाइ

नाटक:--1. इंजत - राजकिशोर सिंह

शिष्टकहानी:- जदि एसन हतक हले का हतक- संतोष साहु 'प्रीतम'

साहित्यकार:-

- 1. ज्योतिलाल महादानी
- 2. परमानन्द महतो
- 3. राजिकशोर सिंह
- 4. सृष्टिधर महतो
- 5. संतोष साहु 'प्रीतम'
- 6. दीनबंधु महतो
- 7. चन्द्रमोहन महतो
- 8. करमचन्द अहीर

नागपुरी भाषा

खण्ड— 'क'

व्याकरण :- वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, ऊनार्थक शब्द ।

खण्ड— 'ख'

पद्य साहित्य

- 1. नागपुरी भाषा के लोकगीत :- लोकगीत की परिभाषा, नागपुरी भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण, दस (10) विविध गीतों का अध्ययन।
 - 1. संस्कार गीत 03
 - 2. पर्व-त्योहार गीत 03
 - 3. श्रम गीत 01
 - 4. बाल गीत 01
 - 5. ऋतु गीत 01
 - 6. सामान्य गीत 01
- 2. शिष्ट गीत / कविताएँ :-

(क) कविताएँ

- 1. जागा–जागा सी. डी. सिंह
- 2. बिरसा तोर इयाइद में क्षितिज कुमार राय
- 3. नागपुरक भाइमन भीम महतो
- 4. जेठ मास आति भरत नायक
- 5. तुलसी आउर कैकटस धरेन्द्र प्रवाही
- 6. तोर बेतरा में गिरिधारी राम गौंझू 'गिरिराज'
- 7 नावाँ सालक नावाँ गीत कुमारी बासन्ती
- 8. गाँव कर सांझ पांडे रवीन्द्र नाथ राम
- 9 मुलुक भारत अजीज अंसारी
- 10. जगत जननी शकुन्तला मिश्र

(ख) गीत :-

- 1. पोड़िलो बरखा ऋतु रघुनाथ नृपति
- 2. छोडु कपटी माया बरजु राम
- 3. पापी प्राण छुटे नहीं झट के महंत घांसी
- 4. ठरू दाता दिगम्बर घासी राम
- 5 उमिं गगन घन घमंड कवि कंचन
- 6 अरजुन कहत बियारी जगनिवास नारायण तिवारी
- 7. संवत पैंसठी साल दृगपाल राम देवघरिया
- 8. कड़िक उठलक तलवारी प्रफुल्ल कुमार राय
- 9. सावन घटा नईमउद्दीन मिरदाहा
- 10. आजादी खातिर रणविजय नाथ शाहदेव

खण्ड— 'ग'

गद्य साहित्य

- 1. नागपुरी लोककथा:- नागपुरी भाषा की कोई दस (10) लोककथाएँ:-
 - 1. कंगन आउर चुरी
 - 2. भाइग कर खेइल
 - 3. दुसुट भेंडा
 - 4. मयना आउर बुट
 - 5. बेलमइत रानी
 - 6. कमल आउर केतकी
 - 7. चोचा चरइ आउर राजा
 - 8. छोटकी रानी
 - 9. बनहरिनी कर बेटा
 - 10. बिन्दुलिया रानी
- 2. शिष्ट कथाएँ:- नागपुरी भाषा की आठ आधुनिक कहानियाँ:-
 - 1. एक चकता रउद प्रफुल्ल कुमार राय
 - 2. बिंझिया शारदा प्रसाद शर्मा
 - 3. रद्दी कागज डॉ. बी.पी. केशरी
 - 4. क्रिसमस कर सांझ डॉ. कुमारी बसन्ती
 - 5. भोटांग डहर पंचम साहु
 - 6. मनपुरन रणविजय नाथ शाहदेव
 - 7. भाइग प्रमोद कुमार राय
 - 8 मांदी डॉ. उमेश नंद तिवारी
- 3. नाटक ठाकुर विश्वनाथ साही डॉ. विसेश्वर प्रसाद केशरी
- 4. साहित्यिक निबंध :- नागपुरी भाषा के किन्हीं आठ (8) साहित्यकारों का जीवन-परिचय एवं उनकी कृत्तियों का अध्ययन:-

नागपुरी के साहित्यिक निबंध

- 1. प्रफुल्ल कुमार राय
- 2. मृत्युंजय नाथ शर्मा
- 3. कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा
- 4. सहनी उपेन्द्र पाल नहन
- 5. डॉ. बी.पी. केशरी
- 6. नईमउद्दीन मिरदाहा
- 7. डॉ. गिरिधारी राम गौंझू 'गिरिराज'
- 8. डॉ. कुमारी वासंती

कुरमाली

खण्ड 'क'

व्याकरणः— वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, ऊनार्थक शब्द।

खण्ड 'ख'

गद्य साहित्य

1. लोककथा :-

- (1) बांदना (सेंहरेइ परब)
- (2) टसर राजा
- (3) निसारथि के भगवान सारथि
- (4) साधन
- (5) लिलुक कसनि
- (6) माछेक हांसी
- (७) पुइतू
- (8) सियारेक मांदेइर
- (9) राजा घारे बिहा
- (10) धीरजे कारज सिद्ध

2. आधुनिक कहानी –

- (1) छटपटी बसंत कुमार मेहता
- (2) बानछा डॉ० एच० एन० सिंह
- (3) दिसा निरंजन माहतअ
- (4) ढेंकि सांप सुनिल माहतअ
- (5) धखा अनन्त माहतअ
- (6) धनेक गरब डॉ० एच० एन० सिंह
- (7) मकरी डॉ० एच० एन० सिंह
- (8) गाछ भगवान डॉ० एच० एन० सिंह
- 3. नाटक केरिआ बहु– कालिपद महतो
- 4. साहित्यकार:— डॉ० नन्द्र किशोर सिंह, लखीकान्त महतो, केशव चन्द्र महतो, बसन्त कुमार मेहता, अनन्त महतो, डॉ० मानसिंह महतो, खुदी राम महतो, डॉ० हरदेव नारायण सिंह।

खण्ड 'ग'

पद्य साहित्य

- लोकगीत:— लोकगीत की परिभाषा, कुरमाली लोकगीतों का वर्गीकरण कुरमाली लोकगीत विवाहगीत, डमकच, उधवागीत, ढपगीत डांइड़धरा गीत (पांतागीत), करम, एढ़ेइया, बादंना (सोहराई) खेलगीत, बालगीत (छवा भुला गीत)
- 2. शिष्ट गीत :-
 - (1) "जे विधि जनम देला, ताहा के बिसरी गेला।"
 - (2) "सयने सपने देखी, पलके ना परे आँखी।"
 - (3) ''रितू बंसत भेल, मर पिया काहां गेल।''
 - (4) "लाल कमल दहे, फूल माला उपजये।"
 - (5) "वृन्दावने फुटीगेला, नाना जाति फूल गो।"
 - (6) ''भादर मासे सैंया मर पड़ली बेजार, इामें नाचब कइसे।''
 - (7) "सुइया मुही बुढ़ियांइ, जीवने सांतावली गो।" भीमचरण
 - (8) "पिया पिया जातिया, बरसा बिती गेल रे।" बाउलदास
 - (9) ''आवल माधव बहे मन्द पवनवा।''-तुलसीदास
 - (10) "आवल बरिसा हित, हुदकी उठल चित्त।"

आधुनिक कविताएँ :

- (1) उड़ीस
- (2) जागरण
- (3) गनति
- (4) एकटा गाछे दुइटि चेरेइ
- (5) जाहाँक झांक तारि
- (6) भगुआ पिंधाक तरहअ
- (७) बिडुल
- (8) बिसरिस ना मांइ
- (९) धंधौरा
- (10) तोंय कन

Urdu Language and Literature

(A)

I. ZABAAN (LANGUAGE)

- (1) HINDUSTANI KA IRTIQA
- (2) URDU ZABAAN KI PAIDAISH: NAZARYAAT AUR HAQAIQ KA JAIZA
- (3) JHARKHAND KI QABAILI ELAAQAI ZABAANEN
- (4) JHARKHAND MEN URDU

(B)

II. QAWAID (GRAMMAR)

- (1) MUTRADIFAT, ISM MOSAGGHAR WA MOKABBAR
- (2) SAABIQA WA LAAHIQA, ZARBUL MASL

(C)

III. SHAYERY (POETRY)

GHAZAL (1) ULTI HO GAYIN SAB TADBEEREN KUCHH NA DAWA NE KAAM KIYA (MEER)

- (2) FAQEERANA AAYE SADA KAR CHALE (MEER)
- (3) DILE NADAN TUJHE HUWA KIYA HAI (GHALIB)
- (4) DAYAM PADA HUWA TERE DAR PER NAHIN HUN MAIN (GHALIB)

NAZM (5) LENIN KHUDA KE HUZOOR MEN (IQBAL)

- (6) EK AARZOO (IQBAL)
- (7) NISAR MAIN TERI GALIYON KE AYE WATAN KE JAHAN (FAIZ)
- (8) MUJH SE PAHLI SI MOHABBAT MERI MAHBOOB NA MANG (FAIZ)

(D)

III. NASR (PROSE)

- NOVEL (1) FIRE AREA (ILYAS AHMAD GADDI)
- AFSANA (2) PARINDA PAKADNE WALI GADI (GHAYAS AHMAD GADDI)
 - (3) NIRVAAN (ZAKI ANWAR)
 - (4) MRS. JOHN (SHEEN AKHTAR)

खोरठा भाषा

खण्ड 'क'

व्याकरण:— खोरठा भाषा का वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, उनार्थक शब्द ।

खण्ड— 'ख' पद्य साहित्य

- 1. खोरठा भाषा के लोकगीत :- लोकगीत की परिभाषा, परिचय, खोरठा भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण, दस (10) विविध गीतों का अध्ययन।
 - 1. संस्कार गीत (विवाह गीत, सहियारी गीत, छठियारी गीत) -03
 - 2. पर्व-त्योहार गीत (करम गीत -2, सोहराइ गीत- 1)-03
 - 3. श्रम गीत -01
 - 4. बाल गीत -01
 - 5. ऋतु गीत -01
 - 6. सामान्य गीत -01
- 2. शिष्ट गीत / कविताएँ :- खोरठा भाषा की दस (10) प्रतिनिधि कविताएँ एवं दस (10) गीत
 - (क) किवताएँ एक पथिया डोंगल महुआ" (संकलन / संपादक— संतोष कुमार महतो) से प्रथम दस (10) किवताएँ।
 - (ख) गीत :-
- 1. माँदइर बाजे रे, बाँसी बाजे रे सुकुमार
- 2. बोने पाकलइ सयाँ कोइर दिनेश दिनमणि
- 3. सोहान लागे रे शांति भारत
- 4. कते सुंदर छोटानागपुर दीपक सवाल
- 5. हामर भारत महान अम्बुज कुमार
- 6. मिली के रहिहा प्रदीप कुमार दीपक
- 7. साँझे हाँसइ झींगा फूल महेन्द्र नाथ गोस्वामी
- 8. बोन रक्षा जीवन रक्षा अनीता कुमारी
- 9. सेंवातिक बाउँड़ी मेला सुभद्रा कुमारी
- 10. जय माँय जननी शिवनाथ प्रमाणिक

खण्ड— 'ग' गद्य साहित्य

- 1. लोककथा :- खोरठा भाषा की दस (10) लोककथाएँ:-
 - 1. सात भाय एक बहिन
 - 2. धनेक धधइनी
 - 3. बुढ़ा बुढ़ी आर सात पीठा
 - 4. गुदपुचु रानी आर कउआ
 - 5. गोहाइल परब
 - 6. बुढ़ी आर ओकर नाती
 - 7. दू बिहाक दुरगति
 - 8. केतकी फूल
 - 9. लुइरगर बेटी छउआ
 - 10. खुँटा भितर चिंयाँ गोटा
- 2. शिष्ट कहानी :- खोरठा भाषा की आठ आधुनिक कहानियाँ :-
 - 1. छाँहइर
- 2 बोनेक लोर
- 3. हाम जीयब कइसें
- 4. नावा जिमीदार
- 5. उबार

- 6 जिनगिक डोंआनी
- 7. ओद दीदा
- 8. हुब
- 3. नाटक चाभी-काठी, लेखक श्रीनिवास पानुरी
- 4. साहित्यिक निबंध :- आठ (८) साहित्यिक निबंध
 - 1. भाइ-बहिन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम (निबंध)
 - 2. फूल कर परब सरहुल आर तकर प्रासंगिकता (निबंध)
- 5. निम्नलिखित खोरठा साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर निबंध :--

भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, श्रीनिवास पानुरी ए.के. झा, विश्वनाथ दसौंधी 'राज', विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रमाणिक, श्याम सुंदर महतो 'श्याम'

हो भाषा

खण्ड 'क'

व्याकरणः—वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द।

खण्ड 'ख' पद्य साहित्य

शिष्ट गीत

- (1) तेतेः चन्डु
- (2) गोलनचि बा
- (3) अबुअ झारखण्ड
- (4) लको बोदरा
- (5) सिंगि
- (6) हर्ताहसा
- (7) जोनोम दिसुम
- (8) दुल सुनुम जुलो चा
- (9) अबुआ नमा भारत
- (10) दिसुम लगिड्

कविताएं:-

- (1) गुसिया बागुन बोदरा
- (2) होयो गमा पूर्णचन्द्र बिरुवा
- (3) जिबनान बाड़ा मदन बानरा
- (4) हुदा समाज सोनेया कुमार तियु
- (5) जिबोन नीरज जगमोहन सिंकु "चिनगारी"
- (6) राष्ट्रीय पर्व
- (7) जाति अन्डो दिसुम लगिङ
- (8) हर्ताहसा रे टोंयोल
- (9) अले जीबोन रे
- (10) नबु दिसुम रे

अपनी भाषा के लोकगीत –

- लोकगीत की परिभाशा
- अपनी भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण

लोकगीत (विविध) 10 गीत (मागे गीत 3, बा गीत 4, विवाह गीत 3)

खण्ड 'ग'

गद्य साहित्य

1. लोककथा-

- (1) डोंडा हो
- (2) इचः बा
- (3) कुला ओन्डोः बर्रान्ड
- (4) काः ओन्डोः रमिया गरोवा
- (5) हो ओन्डोः सेता
- (6) काना दादा
- (७) हपानुम
- (8) केपरा तुयु

2. शिष्ट कहानी -

- (1) मेंजारि प्रिति तियु
- (2) डडु चनटु दमयन्ती पिंगुवा
- (3) सीनी ओन्डोः अयः अपसराय किंग
- (4) चम्पु ओन्डो दोसमा
- (5) लोदे काका
- (6) सेंया होरा
- (7) सरजोम सकम (प्रदीप कुमार बोदरा)
- (8) हरावयन रयो दइयना

3. **नाटक** – षार होरा भाग –2

4. साहित्यहिक निबंध:-

- (1) सामू चरण तुबिड
- (2) डॉ० देवेन्द्र नाथ सिंकु
- (3) डॉ० जानुम सिंह सोय
- (4) घनश्याम गागराई
- (5) चन्द्र मोहन पाट पिंगुवा
- (6) डॉ० दमयन्ती सिंकु
- (7) डोबरो बुड़िउली
- (8) डॉ0 प्रदीप कुमार बोदरा

मुण्डारी भाषा

खण्ड 'क'

व्याकरण:— वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द।

खण्ड 'ख'

पद्य साहित्य

- 1. लोकगीत:— i.लोकगीतों की परिभाषा, लोकगीतों का वर्गीकरण
 - ii. लोकगीत- 'बासुरी बज रही' पुस्तक से गीत सं0-11, 13, 214, 167, 349
 - -'अनायुम दुराङ' पुस्तक से गीत सं0-101, 104, 231, 252, 370
- 2. शिष्टगीत/कविताएँ:- 'हिसिर पुस्तक से गीत सं0-68, 77
 - -'सेलेद' पुस्तक से गीत स०- 1, 4
 - -बम्बरू पुस्तक से गीत सं0 3, 4
 - -ससं बा पुस्तक से गीत सं०- 56, 61
 - -सुड़ा संगेन पुस्तक से गीत सं०- 13
 - -मनोवा-मनोवा रे बिनगा बनोःअ

खण्ड 'ग'

गद्य साहित्य

- 1. लोककथा:-
 - 1 बा नेग
 - 2. कराम कानि
 - 3. सोराइ
 - 4. लीमन आद् रागोसा
 - 5. होनः चतुर
 - 6. गाडीअः सोंगोति
 - 7. देशेपुती राजा
 - 8 ए हगेया कोवः होन मिसी "पिरी"
 - 9. मेद आद् सोना दिदि
 - 10. गुपिन कोवः बा

2. शिष्ट कहानी-

- 1. कुलाए कोअः बलाए
- 2. बिर होनाः नावा इनुङ
- 3. संदु आर बिंदि
- 4. बुरू कुला सेंदेरा
- 5. बिरसा जिमिदार कोअ:ए जगर एटे: जदा
- 6. रइगड़ा सअः एते एरे को अउजदा
- 7. बिरसा सिदा सिदाए सबोः तना
- 8 पिड़ियुद चेंड़े तुदका रेए उकुः जन रअ कानि
- 3. नाटक- मरड. गोमके जयपाल सिंह मुण्डा

4. साहित्यकारों का जीवन परिचय एवं उनकी कृतियाँ:

- 1. बुद्ध बाबु
- 2. काशीनाथ सिंह मुण्डा 'काण्डे'
- 3. डॉ० रामदयाल मुण्डा
- 4. डॉ0 मनमसीह मुण्डू
- 5. भैयाराम मुण्डा
- 6. डॉ0 एस. ए. बी. डी. हंस
- 7. डॉ० मनसिद्ध बड़ायऊद
- 8. मेनास ओड़ेया

बांगला भाषा

1. GRAMMAR: KARAK, BIBHAKTI, EK BAKYA PRAKASH

POETRY: A.) SANCHAITA : Rabindranath Thakur

- Parash Pathar
- Ebar Firao More
- Aamar Matha Nato Kore
- Balaka
- Eaikyataan

B.) MADHUKARI (EDITED BY KALIDAS ROY)

a) Era Jadi Jane
b) Jiban Bandana
c) Aar Kichhu nahi Sadh
d) Purano Kagojer Feriwala
Kamini Roy
Kaji Najrul Islam
Budhadev Basu
Premendra Mitra

e) Hat - Jatindranath Sen Gupta (Kabita Sankalan)

PROSE:

a) Krishnakanter willb) Pather PanchaliBankim Chandra ChattopadhyayBibhuti Bhushan Bandopadhyay

c) Mukut (Drama) - Rabindranath Thakur

d) Sajano Bagan (Drama) - Manoj Mitra

e) Sahityer Rup O Reeti:

Mahakabya, Geetikabya, Tragedy, Comedy.

Literary Essay:-

- 1. Micheal Madhu Sudan Dutta
- 2. Bankim Chandra Chattopadhyay
- 3. Rabindranath Thakur
- 4. Sharat Chandra Chattopadhyay
- 5. Kaji Nazrul Islam
- 6. Bibhuti Bhushan Bandopadhyay
- 7. Tarashankar Bandopadhyay
- 8. Jibonanando Das

खण्ड–क

कत्थअइनः— तोडन अख्'आ, पिंञ्जका, उइजी पिंञ्जका, मेःद, गनया, ननतु'उद, गुणख़ी, परिया, ननना (नलङ), समका, अव्ययं, वाच्यं, बकपून ही डाड़ा, बिड़दो बक्क, संगी बक्क।

खण्ड –ख

पद्य साहित्य

1) डंडी – डंडी ही बकसोर, डंडी घी डाड़ा, बेंजा डंडी, करम डंडी, ख़द्दी डंडी, असारी डंडी, धुड़िया डंडी, , जदुरा डंडी, जतरा डंडी, लुझकी डंडी, तो कना डंडी, जेठ्ठे डंडी।

2) कत्थडंडी :

टीप -

CIA .	
1) परिदका जातियर	6) जिया खोदखर'ई
2) असारी करम	7) छोटानागपुर
3) अचरन ची अयंग	8) खेखेल खजंपा
4) खेखलन कम'आ सोना	9) जू:ड़ी
5) अड़खा–चेख़ेल	10) नीन जूःडी

खण्ड –ग

गद्य साहित्य

1) खीरी :

टीप:

1) असुरर दरा लोधरर	(6) पुरखर गहि कुंडी
2) कुँङखर गहि रूइदास ती भोंगना	7) चन्दो अरा बीःड़ी
3) मुन्धता कुँङखर गहि ख़ीरी	8) मानी गहि दिन जीत मनी
4) चिच्च-चेंप	9) कुँङखर गहि नेग धरम
5) करमस अरा धरमस	(10) लूर मलका देवान

2) कत्थ ख़ीरी :

टीप :

1) अंजेला	(5) झरियो मला झरना
2) पचगी परिया	6) ठक'उर उन्दुल ठकरनर
3) कुकोय बरात	7) उढ़ारी
4) लॉटरी	8) सक्क

3) लीला (नाटक)

4) कत्थपंडी कत्थटूड उराँव साहित्यकार—

• डॉ० निर्मल मिंज	• डॉ० हरि उराँव	• दवले कुजूर	• अहलाद र्तिकी
• इन्द्रजीत उराँव	• बिहारी लकड़ा	• बेचन उराँव	• पी०सी० बेक

हिन्दी

1. भाषा

हिन्दी की उत्पत्ति

पुरानी हिन्दी अवहट्ट

डिंगल

भाषा के विभिन्न रूप :- रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, सम्पर्क भाषा, संचार भाषा।

हिन्दी का शब्द भंडार:- तत्सम्, तद्भव, देशज, विदेशज।

भाषा विज्ञान :- भाषा की परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, घ्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन।

साहित्य सिद्धान्त :- काव्य-लक्षण, काव्य-हेतु, काव्य-प्रयोजन, शब्द-शक्ति, रस, छंद, अंलकार।

पाश्चात्य साहित्य सिद्धान्त:—प्लेटो, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड, आइ०ए० रिचर्ड्स, टी०एस, इलियट के सिद्धान्त।

<u>प्रयोजनमूलक हिन्दी</u> :- अवधारणा, प्रशासनिक हिन्दी, प्रशासनिक पत्राचार, संक्षेपण, टिप्पण, प्रारूपण, प्रतिवेदन।

2. साहित्य

(क) काव्य

निर्धारित कवि– विद्यापित, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान, भूषण।

(ख) काव्य वीथि

निर्धारित कवि— भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, मैथिलीशरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और धूमिल।

3. उपन्यास

- क. गोदान प्रेमचन्द।
- ख. मैला आँचल फणीश्वर नाथ रेणु।
- ग. रागदरबारी श्रीलाल शुक्ल।

4. कहानियाँ

- क. मधुआ जयशंकर प्रसाद
- ख. ठाकुर का कुआँ प्रेमचन्द
- ग. नीलम देश की राजकन्या- जैनेन्द्र कुमार
- घ. परिन्दे निर्मल वर्मा
- ड. दिल्ली में एक मौत- कमलेश्वर
- च. वापसी उषा प्रियवंदा
- छ. अभिशप्त यशपाल
- ज. मिसपाल मोहन राकेश

5. नाटक

- क. भारत-दुदर्शा- भारतेन्दु हरिश्चन्द्र
- ख. ध्रुव स्वामिनी- जयशंकर प्रसाद
- ग. आधे- अधूरे- मोहन राकेश

हिन्दी साहित्य का इतिहास-

- 1. हिन्दी साहित्य का इतिहास– रामचन्द्र शुक्ल
- 2. हिन्दी साहित्य का इतिहास— सं0 डॉ0 नागेन्द्र

व्याकरण :- संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास, मुहावरे।

English Language and Literature

- 1. Language
 - I. Error Recognition
- II. Fill in the Blanks
- III. Vocabulary
- IV. Spellings
- V. Grammar- Adjective, noun, pronoun, verb, subject-verb Agreement, Interchangeability of noun and Verb, Gerund, Participle, Infinitive, Adverb, tense, Clause, Transformation, Narration, Voice, Preposition.
- VI. Sentence Structure
- VII. Synonyms
- VIII. Antonyms
 - IX. Sentence Completion
 - X. Idioms & Phrases
 - XI. Comprehension Passage etc.
 - 2. Literature
 - Novel- Old man and the Sea- Earnest Hemingway; The Painter of signs-R.K. Narayan; The Power and the Glory- Graham Greene; Fasting, Feasting- Anita Desai
 - **Drama-** The Tempest- William Shakespeare; Dr. Faustus- Christopher Marlowe; Final Solutions- Mahesh Dattani, Hayavadana- Girish Karnard.
 - Poetry- Sonnet-29- William Shakespeare; The Rainbow- William Wordsworth; The Traveller- Walter De La Mare; Lead Kindly Light-Cardinal Newman; the Splendour Falls- Alfred Lord Tennyson; Ode to a Nightiangle John Keats; The Hollow Men- T.s. Eliot; Telephone conversation- Wole soyinka; A River- A.K. Ramanujan

- **Short Stories** A Snake in the Grass- R.K. Narayan; The Castaway-Rabindranath Tagore; The man of the House- Frank O'Connor; The Flood- Kamala Markandaya; The country of the Blind- H.G. Wells; The basement Room- Graham Greene.
- Essay- Voluntary Poverty- M.K. Gandhi; Discipline for Daily Life-Lewis Mumford; The Civilization of To-day- C.E.M. Joad; Letter to a Teacher- Nora Rossi and Tom Cole (Trans.); Kamala Nehru- Jawaharlal Nehru.
- **History of the English Language**: A History of English Language-A.C. Baugh, Origins of the English Language-Joseph Willies.
- **Phonetics** A Text Book of English Phonetics for Indian students-Balasubramaniam, A Course in Phonetics P. Ladefoged.

संस्कृत भाषा

- 1. भाषा विज्ञान,
- 2. संस्कृत साहित्य का इतिहास,
- 3. वैदिक साहित्य (वेद, ब्राह्मण, आख्यक, उपनिषद्)
- 4. वेदाङग, (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूक्त, ज्योतिष और छनद)
- 5. व्याकरण स्वर—व्यंजन, वर्ण, स्वर, ध्वनि, पद, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाविशेषण, अव्यय, शब्द रूप, धातु रूप, कृत् प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, सन्धि, समास तथा वाक्य रचना पर आधारित होंगे।

पूर्वमेध (कालिदास), उत्तररामचरित (भवभूति), अभिज्ञान शाकुन्तलम् (चतुर्थ अंक), कादम्बरी (शुक नाशोपदेश), भिक्षुपाल वद्य (प्रथम सर्ग), किरातार्जुनीयम् (प्रथम सर्ग) तथा शिवराज विजय ग्रन्थों से भी बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे।

शब्द रूप निम्न शब्दों के (सातों विभक्तियों में)

बालक, लता, नदी, मुनि, गुणिन्, साधु, भवत्, अस्मद्, युस्मद्, तत् (तीनों लिङ्गों में), सर्व, युवती, लेखनी, रेणु, पयस्, वस्तु तथा आत्मन्।

धातु रूप (लट्, लोट्, विधि लिङ्ग, लङ् तथा लृट् लकारों में)

पठ्, गम्, दृश्, पा्, हन्, भू, अस्, नृत्, लिख्, दिश्, मुच्, स्था्, यच्छ्, शच्, तथा अर्च्।